न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–266 / 2026
(चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या 38 / 2020 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

देबन्ती देवी उर्फ दयबन्ती देवी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

आदेश

17.03.2026 1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **1. देबन्ती देवी उर्फ दयबन्ती देवी** उम्र 44 वर्ष पति विनोद पासवान एवं **2. विनोद पासवान** उम्र 59 वर्ष पे0 डोमन पासवान दोनों साकिनान चोरकटा, थाना–चन्द्रमंडी, जिला–जमुई, चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या 38 / 2020 में धारा 341, 323, 307, 354, 504 भा0द0वि0 तथा धारा 3 / 4 डायन एक्ट के अन्तर्गत गिरफतारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मैनेजर पाण्डेय तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.03.2020 को समय 11:30 बजे सूचिका अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी इसी बीच अमली देवी पति त्रिलोचन पासवान, त्रिलोचन पासवान पिता डोमन पासवान, लालु पासवान पिता माथुर पासवान, मुनकी देवी पति लालु पासवान सभी साकिन चौरकटा थाना चन्द्रमण्डी जिला जमुई में गाली गलौज करते हुये सूचक के दरवाजे पर आ गया तो सूचिका और सूचिका की पुत्री पूजा कुमारी ने उपरोक्त सभी आदमी से गाली देने से मना किया तो उपरोक्त सभी आदमी गाली सूचिका तथा उसकी बेटी के साथ गाली गलौज एवं मारपीट करने लगा। हो हल्ला सुनकर घर के पास गॉव के आदमी आने लगे तो माथुरी पासवान पिता डोमन पासवान, दिपक पासवान पिता लालु पासवान सभी साकिन चौरकटा ने सूचिका तथा गॉव वाले के साथ भी गाली गलौज करने लगा फिर गॉव वालों ने जान बचाया।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते है पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर आवेदक द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण द्वारा वर्तमान आवेदन को छोड़कर अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन धारा 482 या 483 बी0एन0एस0एस0 के तहत न तो इस सत्र न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को 35(3) बी0एन0एस0एस का लाभ नहीं दिया गया है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है इन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है, गांव की गंदी राजनीति के कारण आवेदकगण को इस मनगढ़ंत वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण द्वारा सूचक के विरूद्ध चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या 37 / 20 अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत केस दर्ज कराया गया था जिसमें दोनों पक्षों के बीच परिवार को लेकर विवाद था। जिसकी कॉपी अभिलेख के साथ संलग्न है। इस वाद में धारा 3 / 4

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–266/2026
(चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या 38/2020 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

देबन्ती देवी उर्फ दयबन्ती देवी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

–लगातार–
17.03.2026

डायन एक्ट केस को अजमानतीय बनाने के लिए जोड़ा गया है। आवेदकगण बिल्कुल हैं। आवेदकगण न्यायालय के सभी शर्तों को मानने को तैयार है तथा न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथ. मिकी धारा 341, 323, 354, 307, 504 भा0द0वि0 एवं धारा 3/4 डायन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है तथा इस वाद में अपराध का संज्ञान दिनांक 30.01.2023 को धारा 341, 323, 504, 506 सपठित धारा 34 भा0द0वि0 तथा डायन अधिनियम की ध ाारा 3/4 के अन्तर्गत लिया गया है। डायन अधिनियम की धारा 3/4 अजमानतीय है, परन्तु डायन अधिनियम की धरा 3/4 में अधितम सजा 06 माह की है तथा आवेदकगण पर आरोपित अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति की है, पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को धारा 41(ए) द0प्र0सं0 का लाभ नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख एवं वाद दैनिकी जमानत आवेदन के अभिलेख के साथ संलग्न है, जिसका अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि साक्षियों द्वारा अन्य कोई गंभीर अजमानतीय आरोप नहीं है तथा जमानत आवेदन की कंडिका 03 के अनुसार आवेदकगण का पूर्व का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। इस प्रकार इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदकगण द्वारा इस आदेश से 30 दिनों के अन्दर स्वयं आत्मसर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर प्रस्तुत करने पर तथा आवेदकगण द्वारा 10,000/–रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर तथा धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों का पालन करने पर आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई।

मेमो नं.–..... दिनांक–.....

प्रति अग्रसारितः–न्यायालय–ए0डी0जे0एम0 , जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई